

**राजस्थान-सरकार**  
**सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर**

---

क्रमांक : एफ 44 (4)सैकवि / 2024 /

दिनांक दिसम्बर 2025

-: कार्यालय आदेश :-

माननीय राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में अमलगमेटेड फन्ड फोर दी बेनीफिट्स ऑफ एक्स-सर्विसमेन की 35वीं प्रबन्धकारिणी समिति की दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 को आयोजित बैठक के ऐजेन्डा बिन्दु संख्या-02 पर लिये गये निर्णय अनुसार अमलगमेटेड फन्ड से पूर्व सैनिकों के बच्चे जिनके द्वारा सी.डी.एस/एन.डी.ए/आईएमए/एयर फोर्स/नेवल एकेडमी की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर विभाग के पत्र क्रमांक प-19(3)सैकवि/98/8686-711 दिनांक 25 सितम्बर 2020 द्वारा वर्तमान में दी जा रही एकमुश्त कोचिंग कक्षा अनुदान की राशि रु 15000/-मात्र को बढ़ाकर रु 25000/-मात्र किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। शेष पूर्ववर्ती नियम यथावत रहेगे।

2. यह आदेश 01 नवम्बर 2025 को या इसके पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर लागू होंगे।

बिग्रेडियर वीरेन्द्र सिंह राठौड़ (से.नि.)  
निदेशक  
सैनिक कल्याण विभाग  
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि :

1. जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (समस्त)
2. सम्बन्धित लिपिक
3. लेखाकार फन्ड

निदेशक